अतिआवश्यक

जिला शिक्षा अपीलीय प्राधिकार, पटना

(कम्प्यूटर भवन, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बॉकीपुर, गोलघर पटना)

पत्रांक– 167 / 2018

अपील वाद सं0–07 / 2018

दिव्या भारती .... वादी

बनाम

नगर आयुक्त
–सह–सचिव,
नगर उच्च माध्यमिक / माध्यमिक शिक्षक नियोजन इकाई,
पटना नगर निगम, पटना। .... प्रतिवादी

10 MAR 2018

प्रेषित,

नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना।
जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, पटना।
प्रधानाध्यापक, श्रीचन्द उ0मा0वि0 कुर्जी, पटना।

पटना, दिनांक 05/03/2018

विषयः– दिव्या भारती द्वारा दायर अपील पर सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार अंकित करना है कि दिव्या भारती उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षिका, श्रीचन्द उ0मा0वि0 कुर्जी, पटना के सेवा शर्त से संबंधित अपील दायर किया गया है। सुनवाई की निर्धारित तिथि 26.02.18 एवं 05.03.18 को पूर्व सूचना के बावजूद सुनवाई में आप अनुपस्थित रहे हैं।

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप आवेदिका के दावे से संबंधित साक्ष्य एवं अभिलेख के साथ लिखित रूप में अपना पक्ष दिनांक 16.03.18 को प्राधिकार में स्वयं/प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से समर्पित कर सकते हैं।

इस मामले की अगली सुनवाई दिनांक 16.03.18 को 12.30 बजें अपराहन में निर्धारित है। आपके अनुपस्थित रहने की स्थिति में मामले का निस्तार बिना किसी सूचना के एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर किया जा सकता है।

बिहार राज्य शिक्षक एवं कर्मचारी शिकायत निवारण अधिनियम,2015 की कंडिका 13 एवं 15 के प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश का अनुपालन अनिवार्य है।

प्राधिकार के आदेशानुसार मेरे हस्ताक्षर एवं प्राधिकार के मुहर के साथ आज दिनांक 05.03.18 को निर्गत किया गया।

विश्वासभाजन

5/3/18

सचिव
जिला शिक्षा अपीलीय प्राधिकार,पटना

ज्ञापांक 2167 / दिनांक 14/03/2018
प्रतिलिपि– जिला कार्यक्रम पदा० (स्था०) को सूचनार्थ प्रेषित
अनुरोध है कि अविलम्ब कार्रवाई की जाए।

नगर सचिव सह प्राधिकृत पदा०
पटना नगर निगम।